बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
(उर्दू निदेशालय)

निबंधित / फैक्स
अत्यावश्यक

आदेश

का०आ०सं०–वि०वा०– 170 / 2009 15 / रा0, पटना, दिनांक 26.2.14

श्री मो० इरफान शेखड़ा, उर्दू अनुवादक, बसंतपुर प्रखण्ड, जिला– सुपौल के विरूद्ध घोर वित्तीय अनियमितता के आरोप में संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच–प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं०– 81 / रा० दिनांक 05.12.08 द्वारा सेवा से उन्हें बर्खास्त (dismissed) किया गया। श्री शेखड़ा ने अपनी बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०– 1783 / 09 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.07.2011 को पारित न्यायादेश के आलोक में उक्त बर्खास्तगी आदेश (सं०– 81 / रा० दिनांक 05.12.08) को विभागीय आदेश सं०– 52 / रा० दिनांक 11.10.2011 द्वारा निरस्त किया गया।

उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय आदेश सं०– 53 / रा० दिनांक 11.10.2011 द्वारा श्री इरफान शेखड़ा को पुनः सेवा में वापस लेकर उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय उर्दू निदेशालय निर्धारित किया गया तथा उनके विरूद्ध नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निदेशक–सह–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा जिला पदाधिकारी, सुपौल को आदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर, जिला– सुपौल–सह–उपस्थापन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक– 2412 / 02 दिनांक 18.12.2011 के द्वारा आरोप–पत्र एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। श्री शेखड़ा के विरूद्ध कुल आठ आरोपों में से सात आरोपों को जाँच पदाधिकारी ने सही पाया है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 18 (3) के तहत संचालन पदाधिकारी के जाँच–प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री शेखड़ा को विभागीय ज्ञापांक– 265 / रा० दिनांक 07.08.2013 के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा का जवाब माँगा गया। श्री शेखड़ा द्वारा दिनांक 17.09.2013 को लिखित अभिकथा समर्पित किया गया। सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके अभ्यावेदन, आरोप–पत्र तथा जाँच–प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री इरफान शेखड़ा के विरूद्ध जाँच पदाधिकारी का मंतव्य सही है। तथा आरोप–पत्र में वर्णित गबन की कुल राशि 32,09,000 / – (बतीस लाख नौ हजार) रुपये की अवैध निकासी श्री शेखड़ा द्वारा की गयी है अर्थात् उक्त राशि का उन्होंने गबन किया है।

जाँच–प्रतिवेदन, प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में श्री शेखड़ा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा के उत्तर को, सम्यक् विवेचना के बाद अस्वीकृत किया गया।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 14 (ix) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री मो० इरफान शेखड़ा, निलंबित, उर्दू अनुवादक, बसंतपुर प्रखण्ड, जिला– सुपौल सम्प्रति उर्दू निदेशालय, बिहार, पटना को सरकारी सेवा से तत्कालिक प्रभाव से पदच्यूत (Dismiss) किया जाता है तथा गबन की राशि मो०– 32,09000/– (बतीस लाख नौ हजार) रुपये की वसूली श्री शेखड़ा से जिला पदाधिकारी, सुपौल नियमानुसार करेंगे।

ह०/–

**(ब्रजेश मेहरोत्रा)**
प्रधान सचिव।

**ज्ञाप सं०– वि०वा०– 170/2009** ...../रा0, **पटना, दिनांक**.....

**प्रतिलिपि** :– जिला पदाधिकारी, सुपौल को उनके पत्रांक– 1667–2 दिनांक 19.12.2012 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **प्रतिलिपि** :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर प्रखण्ड, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. **प्रतिलिपि** :– श्री मो० इरफान शेखड़ा, पदच्यूत उर्दू अनुवादक, सम्प्रति उर्दू निदेशालय/बसंतपुर प्रखण्ड, सुपौल/पिता– स्व० रफीक शैख, ग्राम– रामपुर (दक्षिण), थाना– फारबिसगंज, जिला– अररिया को निबंधित डाक द्वारा सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ दी जाती है।

ह०/–

**(ब्रजेश मेहरोत्रा)**
प्रधान सचिव।

**ज्ञाप सं०– वि०वा०– 170/2009** 78 /रा0, **पटना, दिनांक–** 26.2.14

**प्रतिलिपि** :– सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

2. **प्रतिलिपि** :– आई०टी०मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को विभागीय बेवसाई पर अपलोड हेतु दी जाती है।

21/2/14

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 29/2
प्रधान सचिव।

21/2/14